

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25.10.2025

क्रमांक / / 19-02 / 2020 / 25-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम-1995 यथा संशोधित अधिनियम-2020 अध्याय-2 की कंडिका-3 के प्रावधान अनुसार श्री रूपसिंह मण्डावी, ग्राम-फरसागुड़ा, जिला-बस्तर को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष के पद पर मनोनीत करता है।

2/ नियुक्त अध्यक्ष श्री मण्डावी का कार्यकाल छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में पदग्रहण की तिथि से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त रहेगा।



(सोनमणि बोरा)

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति विकास विभाग

अनुसूचित जाति विकास विभाग

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग

पृ.क्रमांक एफ 19-02 / 2020 / 25-1
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 / 10 / 2025

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. रजिस्ट्रार, छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
3. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर (छ.ग.)।
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
8. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
10. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

11. समस्त संभागायुक्त,
12. समस्त कलेक्टर
13. संचालक, जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर, छ.ग.
14. सचिव, छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, शंकर नगर, रायपुर
15. संबंधित श्री.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ
16. आदेश फोल्डर।



प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति विकास विभाग

अनुसूचित जाति विकास विभाग

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग